संख्या-9/2017/601/चालीस-2017-बजट(3)/17

प्रेषक,

सत्येन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2017

विषय: जिला एकीकरण समितियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कराये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित जिला एकीकरण समितियों के पुर्नगठन के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-415/चालीस-12-17(27)/89, दिनांक 14 जून, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला एकीकरण समितियों को उक्त शासनादेश दिनांक 14 जून, 2012 में उल्लिखित प्रयोजनों पर ही व्यय हेतु शासनादेश सं0-8/2017/148/चालीस-2017-बजट(3) /17, दिनांक 08 मई, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए रू0 5,000/- (रूपये पॉच हजार मात्र) की धनराशि अर्थात प्रदेश के कुल 75 जनपदों के लिए कुल रूपये 3,75,000/-(रूपये तीन लाख पचत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्क्रम में श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये अवशेष धनराशि में से प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए रू0 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि अर्थात प्रदेश के कुल 75 जनपदों के लिए कुल रूपये 11,25,000/-(रूपये ग्यारह लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- संदर्भित शासनादेश दिनांक 14 जून, 2012 में वर्णित दिशा-निर्देशो के अनुसार वर्ष में प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी अर्थात प्रत्येक तीन मास में एक बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

4- आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। तथा प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही, व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-03-2018 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें इस तथ्य का प्रमाण होगा कि धनराशि उन्हीं मदों में खर्च की गई है, जिसके निमित्त धनराशि अवमुक्त की गई थी तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को प्रत्येक दशा में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 31-03-2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं धनराशि व्यय करने में सुसंगत वित्तीय नियमों का अवश्य पालन किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-09-जिला एकीकरण समितियों पर व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सत्येन्द्र सिंह
विशेष सचिव ।

संख्या-9/2017/601(1)/चालीस-2017-बजट(3)/17,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।